कार्यालयः जिला विद्यालय निरीक्षक,सम्भल।

पत्रांकः आ0लि0/ 4371 /2018–19 दिनांक - 28.11.2018

प्रबन्धक,
सरस्वती बिद्या मन्दिर सी0सै0 स्कूल सम्भल
जनपद–सम्भल।

विषयः– निशुःल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निशुःल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम–11 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2018 द्वारा विद्यालय के पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में सरस्वती बिद्या मन्दिर सी0सै0 स्कूल सम्भल को कक्षा 01 से 12 तक दिनांक 24.11.2018 से दि0 23.11.2021 तक तीन वर्षो की अवधि के लिये औपबंधिक मान्यता प्रदान करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ सम्प्रेषित की जाती है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्यालय के निरीक्षण में निम्न विन्दुओं से सम्बन्धित कोई छुपाया गया तथ्य प्रकाश में आता है तो इस कार्यालय द्वारा विद्यालय को औपबंधिक मान्यता प्रदान करने हेतु निर्गत पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

1– मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।

2–विद्यालय निशुःल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक–एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संलग्नक–दो) को उपबन्धों का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास–पडोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।

4–प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तद्नुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।

5–समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके मात्ता–पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–

(क)–बालक का आयु प्रमाण न होने पर

(ख)–धर्म, जाति अथवा नस्त, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

7– विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा।

(एक)–किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो)–किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का भागी नहीं बनाया जायेगा।

(तीन)–किसी भी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।

(चार)–प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अर्न्तग निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।

(पांच)–अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन।

(छः)–अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूँ।

(सात)–अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया–कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।

8–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9–विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10–विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।

11–विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (अधिनियम संख्या–21 सन, 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

12–विद्यालय किसी व्यक्ति समूह, या व्यक्ति संगत या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित किया जाता है।

13–लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टड एकाउन्टेट द्वारा किया जाना जायेगा और नियमानुसार समुचित लेखा वितरण तैयार किये जायें। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जानी है।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या............है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धत करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है जो मान्यता सम्बंधी शर्तो की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16–समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17–विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–2 पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18– संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्ते।

28.11.18

जिला विद्यालय निरीक्षक
सम्भल।

PRINCIPAL
SARASWATI VIDYA MANDIR
SR. SEC. SCHOOL
CHANDAUSI ROAD, SAMBHAL

Saraswati Vidhya Mandir Sr. Sec. School
Manager
Sambhal